①

Dr. Honey sinha
Assistant professor
Deptt of commerce
Sub: (B.O) Business Organisation
B.Com part - 1st
SNSRKS College Saharsa

Introduction :- Difference Between Share Certificate & SHARE WARRANT)

* (अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र में अन्तर)

* ऐसा प्रमाण-पत्र जिसमें कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा लिये गये अंशों का निर्देश रहता है 'अंश प्रमाण पत्र कहलाता है। इस पर कम्पनी की सार्वमुद्रा (Common Seal) लगी रहती है। साधारणतया अंश प्रमाण-पत्र में अंशधारी का नाम, क्रय किये गये अंशों की संख्या, अंशों की क्रम संख्या एवं श्रेणी, प्रत्येक अंश पर भुगतान किये गये धन की मात्रा, कम्पनी का नाम इत्यादि लिखा रहता है।

* अंश अधिपत्र :-

कम्पनी अधिनियम (धारा 113) के अनुसार सीमित दायित्व वाली अंश-पूँजी वाली कम्पनी अपने अन्तर्नियमों के अनुसार तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति पर अपनी सार्वमुद्रा अंकित करके पूर्ण दत्त (fully paid up) अंशों के

(2)

लिए प्रमाण पत्र निर्गमित कर सकती है। इस प्रमाण-पत्र को अंश-अधिपत्र कहते हैं।

(1) निर्गमन के आधार पर अंश प्रमाण-पत्र तथा अंश अधिपत्र में अन्तर :-

अंश प्रमाणपत्र का निर्गमन पूर्णदत्त एवं आंशिकदत्त (fully paid-up and partly paid up) दोनों प्रकार के अंशों के लिए हो सकता है। जबकि इसका निर्गमन केवल पूर्णदत्त (fully paid-up) अंशों के लिए ही हो सकता है।

(2) हस्तान्तरण के आधार पर :- अंश प्रमाणपत्र का हस्तान्तरण केवल सुपुर्दगी मात्र से न हो कर वैधानिक रीति के अनुसार ही हो सकता है। जबकि अंश अधिपत्र में हस्तान्तरण केवल सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है।

(3) स्वामी का सदस्य के आधार पर :- अंशप्रमाण पत्र का स्वामी सदैव कम्पनी का सदस्य ही होता है जबकि अंश अधिपत्र में स्वामी साधारण कम्पनी का सदस्य नहीं होता है।

(4) लाभांश कूपन के आधार पर :- अंश प्रमाणपत्र के साथ लाभांश कूपन नहीं लगा रहता है जबकि अंश अधिपत्र में लाभांश कूपन लगा रहता है।

(5) निजी कम्पनी की दशा में :- अंश प्रमाण-पत्र निजी कम्पनियों के द्वारा निर्गमित किये जाते हैं। जबकि अंश अधिपत्र में निर्गमन निजी कम्पनी के द्वारा नहीं हो सकता है।

(6) संचालकों के योग्यता अंशों में सम्मलित होना :- अंश प्रमाण पत्र में लिखित अंशों को संचालकों के योग्यता अंशों में सम्मलित किया जाता है। जबकि अंश अधिपत्र में लिखित अंशों को संचालकों के योग्यता अंशों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

The end

Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of Commerce
SNSRKS College
Saharsa